(घ) संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपनी रिपोर्टें भेज दें।

उच्चतर शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिए गए अनुदान

584. **श्री अनन्तराम जायसवाल :**
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उच्चतर शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिए जा रहे अनुदान की राशि क्या है ;

(ख) क्या सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्चतर शिक्षा हेतु दिए गए वर्तमान अनुदान की राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुदान आयोग को बढ़ाई गई राशि प्रदान करने के लिए समय-सीमा, यदि कोई हो, तो क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं एवं अनुदान/निधियों के अभाव में उच्चतर शिक्षा कहां तक प्रभावित होगी तथा उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) :

(क) से (घ) आठवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनदान आयोग को उच्च शिक्षा के विकास हेतु 612.38 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जबकि सातवीं योजना में इस प्रयोजनार्थ 576.01 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते है और उनका पूरा अनुरक्षण और विकास व्यय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य विश्वविद्यालय, राज्य विधान मंडल द्वारा स्थापित किए जाते है और उनका अनुरक्षण एवं विकास व्यय अपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को केवल विकास अनुदान प्रदान करता है और वह भी उनकी आवश्यकताओं के केवल एक भाग के लिए। प्राथमिक रूप से यह संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह उसके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों और कालेजों को योजनागत और योजनेत्तर अनुदानों की उचित राशि प्रदान करे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आठवीं योजना में विश्वविद्यालय को दी जाने वाली योजनागत सहायता का पैमाना उदार बना दिया है।

केन्द्रीय/सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के कालेजों में वित्तीय स्थिति की जांच करने तथा भविष्य में अनुदानों का निर्धारण करने संबंधी नीतियों और मानदण्डों का सुझाव देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने न्यायमूर्ति (डा०) के० पनैप्पा की अध्यक्षता में नवम्बर, 1992 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी। इस समिति ने इन संस्थाओं की आन्तरिक लागत क्षमता सुधारने और अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए भी अनेक सिफारिशें की हैं। इस समिति की रिपोर्ट, तत्संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारों सहित केन्द्रीय/राज्य और सम-विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विचारार्थ तथा उनसे संबंधित सिफारिशों को अपनाने के लिए भेज दी गई हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक की नियुक्ति

585. **श्री अनन्तराम जायसवाल :**
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारती पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक का प

काफी समय से रिक्त पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इतने लंबे समय से पद के रिक्त होने के क्या कारण हैं, तथा इस नियुक्ति के संबंध में क्या विवाद है ;

(ग) क्या महानिदेशक के कार्य-निर्वहन हेतु मौजूदा अधिकारी अर्हताओं संबंधी सभी मानदंड पूरा करते हैं, यदि नहीं, तो किस आधार पर नियुक्ति की गई है ; और

(घ) क्या सरकार अर्हता/अनुभव के आधार पर तथा विवाद रहित नियुक्ति करेगी यदि हां, तो कब तक ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पद 31 मार्च, 1993 को पिछले पदधारी की सेवा-निवृत्ति के बाद से रिक्त पड़ा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कोई भी अधिकारी तत्कालीन भर्ती नियमावली के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र नहीं पाया गया। पद को विज्ञापित किया गया था और इसे सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय विभागों के बीच परिचालित भी किया गया था। इस प्रयोजनार्थ, एक चयन समिति भी गठित की गई तथा प्राप्त किए गए आवेदन संघ लोक सेवा आयोग को अग्रसारित किए गए। चूंकि, चौथे वेतन आयोग के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के वेतनमान में संशोधन हो गया और चूंकि भर्ती नियम पूर्व वर्षों के थे, अतः संघ लोक सेवा आयोग ने निर्णय लिया कि भर्ती नियमों को संशोधित करना होगा तथा इनके संशोधित हो जाने तक आयोग के साथ मिलकर भर्ती के तरीके तय कर लिए जाएं। आयोग के इस निर्णय को मद्देनजर रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अभी कोई भर्ती नियम नहीं हैं। इस बीच काल में, सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के कर्तव्यों का वर्तमान प्रभार संभालने के लिए अपर महानिदेशक (प्रशासन) को निर्देश दिया। भर्ती के नये तरीके के लिए आयोग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, जिसके अधीन अर्हताओं तथा अनुभव के वर्षों में संशोधन किया गया है, ताकि इसमें अधिकाधिक संस्थाओं एवं उच्च अर्हता वाले व्यक्तियों को शामिल किया जा सके। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा अनुमोदित भर्ती के नये तरीके के अनुसार अब पद को विज्ञापित भी कर दिया गया है। पात्र उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से उक्त पद भर दिया जाएगा। समुचित समन्वयन तथा नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का कार्य-भार अब सचिव, संस्कृति को सौंप दिया है।

Bogus Accounts opened in Mahila Samriddhi Yojana

586. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what has been the progress of Mahila Samiriddhi Yojana, a saving scheme, aimed at upliftment of rural women, launched two years ago and what is the total number of beneficiaries as on date;

(b) whether it is fact that the incentives offerred by Postal Department to its employees on enrolment of new beneficiaries, work out more that the deposits made;

(c) whether the vigilance Department of Post & Telegraphs has discovered a large number of bogus accounts opened by postal employees just to derive the incentives; and

(d) whether Government would order an investigation in the matter and revamp the scheme to prevent diversion of incentives to wrong persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SMT. BASAVARAJESWARI): (a) The scheme of Mahila Samiriddhi Yojana (MSY)) was launched on 2 October, 1993. As on 31 October, 1994,